

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज

पत्रांक : शि0स0 / मान्यता / 11610-15 / 2024-25, दिनांक :- 07/03/2025

प्रबन्धक,

गोल्डन फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल,

नरदोली बाईपास पटियाली वि0ख0 पटियाली, जनपद कासगंज।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 575/68-3-2018-2041/2023 दिनांक 26.09.2023 में लिखित निर्देशानुसार आपके आवेदन दिनांक 24.12.2024 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपकी संस्था गोल्डन फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल, नरदोली बाईपास पटियाली वि0ख0 पटियाली, जनपद कासगंज को दिनांक 07.03.2025 से दिनांक 07.03.2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन होगी-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात् उच्च कक्षाएं संचालित करने या अन्य शाखायें खोलने की अनुमति नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)(सी.) (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार फीस प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
- विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसीकक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारिक नियमों के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

मा

BSA

क्रमशः पेज 2 पर

- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) स्टाफ— मान्यता के पश्चात विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए। कार्मिकों का देय वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा। शिक्षकों की अर्हता— प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होगी।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में योजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
 9. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
 10. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्हन एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 11. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 12. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
 13. सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 14. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग(सैक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
 15. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
 16. शुल्क/फीस मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है—
- 1— शिक्षण शुल्क, 2— मंहगाई शुल्क, 3— विकास शुल्क, 4 बिजली, पानी आदि, 5— क्रीड़ा शुल्क, 6— परीक्षा/मूल्यांकन, 7— विद्यालय समारोह/उत्सव, 8— विशेष विषयों की शिक्षा— कम्प्यूटर/संगीत आदि।
- नोट— पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।
17. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।
 18. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

अना

8/ BSA

(3)

19. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
20. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा।
21. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
22. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
23. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड **KAS09718454098** है। कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक को उल्लेख करें।
24. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देश/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
25. प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्वत्ति पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
26. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
27. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।


07/03/25
(सूर्य प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज

पृ0सं0 / शि0स0 / मान्यता / _____ / 2024-25, तददिनांक -

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
- 4- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-कासगंज।
- 5- गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज